REGD. NO. D. L.-33004/99

HRAA AN UNIVERSALE OF India

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲਂ. 105] No. 105]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2007/फाल्गुन 22, 1928

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2007/PHALGUNA 22, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय)

अधिसूचना

नोएडा, 5 मार्च, 2007

सा.का.नि. 195(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दीपस्तम्भ एवं दीपपोत विभाग (अराजपत्रित तकनीकी पदों) भर्ती नियम, 1978 का जहां तक उनका संबंध किनष्ठ अभियंता (सिविल), किनष्ठ अभियंता (विद्युत) और किनष्ठ अभियंता (यांत्रिक) के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय में किनष्ठ अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) पदों पर भर्ती की पद्धित विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय कनिष्ठ अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) समूह "ग" भर्ती नियम, 2006 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू करना :--यह नियम संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्धारित पदों के संबंध में लागू होगा।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इस उपबंध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्टता के अनुसार होंगी।
 - 5. निरर्हता :-वह व्यक्ति,-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

862 GI/2007

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपाबद्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आयु-सीमा में छूट, आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनसची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा	सेवा में जोड़े गए व फायदा केन्द्रीय	त्रर्षों का	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा
				अचयन	सेवा (पेंशन) निय		
		-		पद	के नियम 30 के		1
				44	अनुज्ञेय है या नहीं	अधान	
					-1341 6 11 101	7	
1	2	3	4	5	6	1	7
कनिष्ठ	38*	सामान्य	रुपये 5000-	लागू नहीं	लागू नहीं		आयु-सीमा वर्ष 21 से 32 के बीच
अभिंयता	(2006)	केन्द्रीय सेवा	150-8000				(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आंदेशों
(सिविल)	*कार्यभार	समूह "ग"	टिप्पणी :-पाँचवे				अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकारी
	के आधार पर	अराजपत्रित,	केन्द्रीय वेतन आयोग				सेवकों के मामले में 40 वर्ष तक की
	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	की सिफारिशों		RECO.		शिथिल की जा सकती है।)
	जा सकता है।		के अनुसार 50%				टिप्पणी 1 :-आयु-सीमा अवधारित
			स्वीकृत पदों को				करने के लिए निर्णायक तारीख भारत
			ज्येष्ठता के आधार				में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने
			पर रुपये 5000-				के लिए नियत की गई ऑतिम तारीख
,			150-8000 के वेतन-				होगी (न कि वह अतिम तारीख जो
			मान में नियमित रूप				असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश.
			से तीन वर्ष की सेवा				मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा;
			के सम्पूर्ण करने पर				सिविकम, जम्मू-कश्मीर राज्य के
			रुपये 5500-175-				लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के
			9000 का उच्चतर				लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा
			वेतनमान प्रदान				जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान
			किया जाएगा।				और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप
							के अभ्यर्थियों के लिए विहित की
							गई है।)
					2	,	टिप्पणी 2 :-यदि नियुक्ति रोजगार
							कार्यालय के माध्यम से की जाती है
							तो आयु-सीमा अवधारित करने के
							लिए निर्णायक तारीख वह अतिम
							तारीख होगी जिस पर रोजगार
							कार्यालयों से नाम भेजने के लिए
							कहा गया है।

8 सिविल इंजीनियरिंग में डिग़ तीन वर्षों के अनुभव सहित	0	0					
सिविल इंजीनियरिंग में डिग़ तीन वर्षों के अनुभव सहित	0			9	-		10
	ग्री अथवा सिवि त अथवा समतु	ाल इंजीनियरिंग में डिप ल्य अर्हता	लोमा	लागू नहीं			दो वर्ष
					-4		
भर्ती की पद्धित : भर्ती र या प्रतिनियुक्ति अथवा आग पद्धितयों द्वारा भरे जाने वात	मेलन द्वारा तथा	विभिन्न	ਸ਼ੇ ਹਿ	न्नित या प्रतिनि ननसे प्रोन्नित य	युक्ति या अ प्रतिनियुक्ति	ामेलन द्वारा 1 अथवा आ	भर्ती की दशा में वे श्रेणिय मेलन किया जाएगा
11				12			
सीधी भर्ती				लागू न	हीं		
	2						
यदि विभागीय प्रोन्नति समि	ति है, तो उसक	र्ग संरचना			भर्ती	करने में	किन परिस्थितियों में संघ
	10				लोक	सेवा आयोग	ा से परामर्श किया जाएगा
तमूह "ग" विभागीय प्रो	13	8 2	e ·			14	
 एक बाहरी सदस्य ज 1 2 	3	4	हो -सद	6			
कनिष्ठ 3*	सामान्य	रुपये 5000-	लागू नहीं	लागू नहीं			नर्ष 21 से वर्ष 32 के बीच।
विद्युत) *कार्यभार के आधार पर	केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	150-8000 टिप्पणी: — पाँचवें केन्द्रीय बेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 50% स्वीकृत पदों को ज्येष्ठता के आधार पर रुपये 5000— 150-8000 के वेतन-मान में नियमित रूप से तीन वर्ष की सेवा के सम्पूर्ण करने पर रुपये 5500—175—9000 का उच्चतर				(केन्द्र स् अथवा अ कर्मचारी व छूटा) टिप्पणी : करने के ति में अश्यर्थि के लिए नि होगी (न नि असम, मेह मिजोरम, म सिक्किम,	ारकार द्वारा जारी आदेशों नुदेशों के अनुसार सरकारी के मामले में 40 वर्ष तक की 1—आयु-सीमा अवधारित त्यार निर्णायक तारीख भारत त्यों से आवेदन प्राप्त करने त्यत की गई अंतिम तारीख के वह अंतिम तारीख जो गालय, अरुणाचल प्रदेश, गणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर राज्य के गंड, हिमाचल प्रदेश के र स्मीति जिले तथा चम्बा

7

टिप्पणी: 2-यदि नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है तो आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

	9	10
विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तीन वर्षों के अनुभव सहित अथवा समतुल्य अर्हता	लागू नहीं	दो वर्ष
11	12	
सीधी भर्ती	लागू नहीं	
	r	
13	7.	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :		लागू नहीं
 महानिदेशक दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय निदेशक (इलै.) दीपस्तम्भ और दीपपोत महानिदेशालय एक बाहरी सदस्य जो अवर सचिव के पद से नीचे का न हो 	- अध्यक्ष - सदस्य सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
3. कनिष्ट अभियंता (यॉत्रिक)	3 1* (2006) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	रुपये 5000- 150-8000 टिप्पणी: —पाँचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के के अनुसार 50% स्वीकृति पदों को ज्येष्ठता के आधार पर रुपये 5000- 150-8000 के वेतन- मान में नियमित रूप से तीन वर्ष की'सेवा के सम्पूर्ण करने पर रुपये 5500-175- 9000 का उच्चतर वेतनमान प्रदान किया जाएगा।		लागू नहीं	आयु-सीमा वर्ष 21 से वर्ष 32 के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेश अथवा अनुदेशों के अनुसार सरकार कर्मचारी के मामले में 40 वर्ष तक के छूट) टिप्पणी : 1—आयु-सीमा अवधारि करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर के लिए नियत की गई ओंतम तारीख होगी (न कि वह ओंतम तारीख छ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य व लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप

62		का राजपत्र : असाधारण	
		(46)	(7)
		9.0	के अभ्यर्थियों के लिए विहित क
			गई है।)
			टिप्पणी 2:—यदि नियुक्ति रोजग कार्यालय के माध्यम से की जाती तो आयु-सीमा अवधारित करने व
			लिए निर्णायक तारीख वह अंति तारीख होगी जिस पर रोजगा कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
(8)	6.	(9)	
यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिग्री अथव तीन वर्षों के अनुभव सहित अथव	त्रा याँत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोम । समतुल्य अर्हता	ा लागू नहीं	(10) दो वर्ष
100	-		
(11)		(12)	
सीधी भर्ती		लागू नहीं	V /
(13)			(14)
प्तमूह "ग" विभागीय प्रोन्नति स पदस्य होंगे :	मिति जिसमें निम्नलिखित		लागू नहीं
	2 1 21		
 महानिदेशक दीपस्तम्भ और 	दीपपति महानिदेशालय	– अध्यक्ष	
2. निदेशक (इलै.), दीपस्तम्भ	और दीपपोत महानिदेशालय	-सदस्य	
3. एक बाहरी सदस्य जो अवर	सचिव के पद से नीचे का न हो	–सदस्य	

[फा. सं. 3/1/2006-प्र. I] मनमोहन सिंह सुमन, महानिदेशक

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS)

NOTIFICATION

Noida, the 5th March, 2007

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships (Non-Gazetted technical posts), Recruitment Rules, 1978, in so far as it relates to the posts of Junior Engineer (Civil), Junior Engineer (Electrical) and Junior Engineer (Mechanical), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineer (Civil/Electrical/Mechanical) in the Directorate General of Lighthouses and Lightships, namely:—

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships Junior Engineer (Civil/Electrical/Mechanical) Group "C" posts Recruitment Rules, 2006.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

862GI/07-2

Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and

- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed thereto
- 3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid

5. Disqualifications.—No person,-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect relaxation of age limit, reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this

SCHEDULE

	Name of the post	Number of	Classi-	Scale of	Whether	Whether benefit	Agaliaria Carri
	post	posts	fication	pay	selection	of added years of	Age limit for direct recruits
	1	(A)			post or non- selection post	service admissible under Rule 30 of the C.C. S. (Pension) Rules, 1972	
/	1. Junior	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U	Engineer (Civil)	38* (2006) *Subject to variation dependent	Service,	Rs. 5000-150 8000 Note.—As per	Not applicable	Not applicable	Between 21 and 32 years (relaxable up to 40 years
		on work- load.	Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial	dations of the Fifth Central Pay Commis-		7	in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
				sion 50% of the sanctioned posts on senio- rity basis will be granted higher scale of pay of Rs. 5500-175- 9000 on comple- tion of three years of regular service in the			Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,
				scale of Rs. 5000-150-8000.			Sikkim, Ladakh Division of J and K State, Lahaul and Spiti District and Pangi

भारत का राजपत्र : असाधारण 7 Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2.—In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names. Educational and other Whether age and educational Period of probation, qualifications required qualifications prescribed for if any for direct recruits direct recruits will apply in the case of promotees 10 Degree in Civil Engineering Not applicable Two years Diploma in Civil Engineering with three years experience Equivalent qualification Method of recruitment: Whether by In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, direct recruitment or by promotion or by grades from which promotion or deputation or absorption to be deputation or absorption and percentage of made posts to be filled by various methods 12 Direct recruitment Not applicable If a Departmental Promotion Committee exists, Circumstances in which Union Public what is its composition Service Commission is to be consulted in making recruitment 14 Group 'C', Departmental Promotion Committee Not applicable (for confirmation) consisting of: (1) Director General of Lighthouses and Lightships -Chairman (2) Director (Civil), Directorate General of Lighthouses and Lightships -Member (3) An outside member not below the rank of Under Secretary

-Member

-		1H	E GAZETTE OF	INDIA: EXT	RAORDINARY	[PART I	I—SEC. 3(i)?
1	2	3	4	5	6	7	
2. Junior Engineer (Electrical)	3* (2006) '*Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'C', Non- Gazetted, Non-	Rs. 5000-150- 8000 Note.—As per	Not applicable	Not applicable	Between 21 a (Relaxable up in case of G Servants in a with the inst orders issued Central Gover Note 1.—The for determini limit shall be t date for receip cations from in India (an closing date for those in	to 40 years overnment accordance ructions or d by the nment). crucial date ing the age the closing of applicandidates d not the prescribed in Assam, Arunachal ram, Manid, Tripura, the Division d Kashmir and Spiti ramba Distanba
				1		upto which the ment Exchange submit the nam	is asked to
-			100				
	8			9		10	
Degree in Ele	ctrical Enginee Or	ering	1	Not applicable	I as	Two years	
	Or ectrical Engine perience Or			от аррисавіе		Two years	/
	1 10			Ĭ.		may the .	
11					12		
Direct recruitn	nent			1	Not applicable	-	1

Equivalent qualification

13 Group 'C', Departmental Promotion Committee Not applicable (for confirmation) consisting of: (1) Director General of Lighthouses and Lightships ---Chairman (2) Director (Electronics), Directorate General of Lighthouses and Lightships -Member (3) An outside member not below the rank of Under Secretary -Member 2 5 6 3. Junior 1* (2006) General Rs. 5000-150 Not Not Between 21 and 32 years Engineer *Subject to Central 8000 applicable applicable (relaxable up to 40 years (Mechanical) variation Services, Note.—As per in case of Government dependent Group 'C', the recommen-Servants in accordance on work-Nondations of the with the instructions or load. Gazetted, Fifth Central orders issued by the Non-Pay Commis-Central Government). Ministerial sion 50% of Note 1 .- The crucial date the sanctioned for determining the age posts on seniolimit shall be the closing rity basis will be date for receipt of appligranted higher cations from candidates scale of pay of in India (and not the Rs. 5500-175closing date prescribed 9000 on complefor those in Assam, tion of three Maghalaya, Arunachal years of regular Pradesh, Mizoram, Maniservice in the pur, Nagaland, Tripura, scale of Rs. 5000-Sikkim, Ladakh Division 150-8000. of J and K State, Lahaul or Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note 2.- In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. 9 10 Degree in Mechanical Engineering Not applicable Two years Or Diploma in Mechanical Engineering with three years experience

THE GAZETTE OF		TANT	[PART	II—SEC. 3(i)
Direct recruitment		12		
		Not applicable		
13		48		
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation) consisting of :			14	
(1) Director General of Lighthouses and Lightships			Not applicable	1
(2) Director (Electronics), Directorate General of Lighthouses and Lightships	—Chairman			
(3) An outside member not below the rank of Under Secretary	-Member			
	-Member			

[F. No. 3/1/2006-Admn-I] M. M. SINGH SUMAN, Director General